न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 06/2025

रामखिलाडी पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी निवासी खेडा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय आदेश तहसीलदार दिनांक 22.1.2025 जो मुकदमा नं0 02/2025 उनवानी सरकार बनाम रामखिलाडी धारा 91 एल.आर. एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 25.6.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा दिनांक 22.1.2025 को ग्राम खेडा के खसरा नंबर 1343/1247, 1344/1247, 1345/1251, 1346/1251, 1341/1225, 1342/1225, 1253 कुल रकबा 0.60है. पर पारित निर्णय से व्यंथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का थूमडी ने अपीलान्ट के खिलाफ अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान के समक्ष निहायती झूठे तथ्यो के आधार पर रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम खेडास्थित सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1343/1247, 1344/1247, 1345 1251 1346/1251, 1341/1225, 1342/1225, स्थित 0.92 है0 रकबे मे से 0.6 है0 पर सौंफ, गेहूँ, मिर्च पक्का निर्माण कर कब्जा किया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील करवाये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व नये पुराने रिकार्ड को देखे बिना व अपीलान्ट का किसी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा हुए बिना व सेटलमेन्ट विभाग ने नक्शे मे गडबडी करके अपीलान्ट की भूमि का रकबा कम कर देने के संबंध में चल रहे दावे को देखे बिना व अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी एवं गिरदावर से जिरह का अवसर दिये बिना दिनांक 22.01.2025 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए गैर सायल को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली का आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दंड स्वरूप सरह लगान 11.64 का 50 गुणा जुर्माना राशि 582 रुपये पैनेल्टी आरोपित की जाती है और उक्त आदेश पारित कर दिया। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमों के विपरीत होंने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत तरीके से अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये विना व बिना कोई जॉच किये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह का मौका दिये बिना आदेश पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है अपीलांट के खिलाफ झूठी रिपोर्ट पेश की है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। वाके ग्राम खेडा तहसील नांगलराजावतान जिला दौसा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 1248, 1252 का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा उक्त भूमि मे मध्य मे व पास में बारानी 2 भूमि खसरा नंबर 1224, 1225, 1247, 1251 स्थित है उक्त भूमि मे होकर मौके पर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है ना ही कोई रास्ता आज दिन चालू है उक्त भूमि के एक तरफ खसरा नंबर 1224 खातेदारी की भूमि है तथा दूसरी तरफ खसरा नंबर 1250 खातेदारी की भूमि है, अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा अपने बुर्जुगो के समस से चला आ रहा है तथा गिरदावरियो मे काश्त होना अंकित है तथा उक्त भूमि मे अभीलान्ट की बोरंग बनी हुई है तथा कुआ बना हुआ है तथा उक्त भूमि का रास्ते के रूप में काम आना भी संभव नही है क्यो कि उक्त भूमि के चारो तरफ खातेदारी की भूमि है तथा उक्त भूमि के पास से ही खसरा नपंबर 1253 आम रास्ता है जो चालू है जिसमे होकर आवागमन हो रहा है भूमि खसरा नंबर 1224, 1225, 1247, 1251 में होकर कभी भी कोई रास्ता नही होने के बावजूद भी तहसीलदार नांगलराजावतान ने विधि विरूद्ध तरीके से मिलीभगत से उक्त भूमि जो कि वारानी 2 भूमि है उसमे होकर बिना किसी आधार के रास्ता चालू होना बताकर दिनांक 4.03. 2024 को उक्त भूमि के कुछ भाग को रास्ते के रूप में अंकित करने का आदेश दे दिया जिस आदेश के खिलाफ माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के समक्ष अपील चल रही है किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष गलत आधारो पर प्रस्तुत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के खिलाफ आदेश पारित करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्तनीय है। उक्त भूमि के लगते हुए ही अपीलान्ट की भूमि है, सेटलमेनट विभाग ने नक्शे मे गडबडी करके और अपीलान्ट के नक्शे में हेराफेरी करके और नक्शा गलत बना दिया तथा अपीलान्ट की भूमि को सरकारी भूमि दर्शा दिया जिसकी दुरूस्ती का वाद अपीलान्ट ने सक्षम न्यायालय उपजिला कलेक्टर नांगलराजावतान की अदालत मे कर रखा है जो चल रहा है जिसमे तहसीलदार नांगराजावतान पक्षकार है किन्तु उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तरीके से अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित करने मे कानूनी गलती की है जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षो से भी अधिक अपने बुर्जुगो के समय से कब्जा काश्त है जो गिरदावरियो मे अंकित है, कानूनन अपीलान्ट उक्त भूमि का नियम करवाने का अधिकार है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व मौका स्थीती को देखे बिना उक्त निर्णय पारित किया है जिसके कारण अपीलान्ट कोई दस्तावेज पेश नही कर सका तथा ना ही अपने उज्रात रख सका इसलिये उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने 7 खसरा नंबरान में से 0.06है. बाबत आदेश पारित किया है किन्तु किस नंबर मे से कितनी भूमि पर अतिक्रमण है यह कही भी नही बताया है इसलिये उक्त निर्णय अस्पष्ट एवं विधि विरूद्ध निर्णय है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान दिनांक 22.01.2025 जो मुकदमा अनुवानी सरकार बनाम रामखिलाडी मुकदमा नंबर 2/ 2025 धारा 91 ले० रे० एक्ट पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का थूमडी द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त थूमडी से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये [illegible] के द्वारा प्राप्त की गई है। अपीलांट बाद विधिवत तामील तारीख पेशी पर न्याया[illegible]स्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई [illegible] गया है। अपीलांट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर सौंफ, गेहूँ, [illegible] कर लगाकर अतिचार किया है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट में पूर्व में लगातार अतिक्रमी [illegible]ा अंकित किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. अपीलांट का मुख्य तर्क यह है कि उनके द्वारा विवादित खसरा नंबर 1343/1247, 1344/1247, 1345/1251, 1346/1251, 1341/1225, 1342/1225, 1253 कुल रकबा 0.60है0 ग्राम खेडा पटवार हल्का थूमडी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अपीलांट का विवादित खसरा नंबर की भूमि पर कब्जा बुजुर्गो के जमाने से है तथा गिरदावरी में भी काश्त होना अंकित है। विवादित भूमि रास्ते के रूप में काम नहीं आती है एवं तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी का एक प्रकरण माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष विचाराधीन हैं अपीलांट की भूमि सें लगती हुई भूमि को सैटलमेंट विभाग ने गडबडी की है एवं अपीलांट की भूमि में मिला दिया है। अपीलांट का पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसे अपीलांट नियमन करवाने का अधिकारी है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.1.2025 मिसल नंबर 02/2025 खसरा नंबर 1343/1247, 1344/1247, 1345/1251, 1346/1251, 1341/1225, 1342/1225, 1253 कुल 0.60 है0 पर पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे। उपरोक्त प्रार्थी द्वारा दिये गये तर्क से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने अतिक्रमण के रूप में कब्जे का नियमन करवाना चाहता है जो कि विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उक्त खसरा नंबरान में से कुछ खसरे गै0मु0 रास्तें के रूप में है जो नियमन योग्य नहीं है। जनसमुदाय के उपयोग के लिए है एवं उनका नियमन एक निर्धारित पॉलिसी के तहत हो सकता है और अपीलांट इस उम्मीद से एवं कब्जे के आधार पर नियमन करवा लेगा तो वह न्यायोचित नहीं है एवं अतिक्रमण को बढावा देता है। प्रार्थी का कथन कि सैटलमेंट द्वारा नक्शों में हेरफेर की गई है तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। एवं यदि यह बात सत्य भी है तो प्रार्थी को सक्षम न्यायालय (उपखंड अधिकारी या अन्य में) रिकार्ड दुरूस्ती का दावा करना चाहिए। जहॉ तक प्रार्थी का कथन है कि उनका एक दावा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष विचाराधीन है तो इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश इस न्यायालय अथवा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.1.2025 जो कि मिसल नं0 2/2025 पर पारित किये गये है को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जून, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:47:29 IST
Reason: SelfAttested